( 25.09.2010 को प्रकाशनार्थ)

# भारत सरकार

कर्मचारी चयन आयोग(मध्य क्षेत्र)इलाहाबाद
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

विज्ञापन सं.: म.क्षे–2 / 2010
फाइल सं: 230 / कचआ–मक्षे / 2–2010–भर्ती

( 25.09.2010 को प्रकाशनार्थ )

## कर्मचारी चयन आयोग
## मध्य क्षेत्र

**कर्मचारी चयन आयोग(मध्य क्षेत्र), इलाहाबाद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों से निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:**

**श्रेणी–1 : रक्षा लेखा नियंत्रक( फण्ड) मेरठ कैंट (उत्तर प्रदेश) में कनिष्ट हिंदी अनुवादक का 01 पद ।**

रिक्तियॉ : 01 (अनारक्षित–01) ( विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त नहीं )

आयु : 28 वर्ष से अधिक नहीं । भारत सरकार के केन्द्रीय सिविल कर्मचारियों के लिए आयु में 12 वर्ष की छूट ।

वेतनमानः पी0बी0–2, रु. 9300 – 34800 + रु. 4200 ग्रेड पे (पुनरीक्षण के उपरांत )। (समान्य केन्द्रीय सेवा पद, गैर मंत्रालयीय समूह ग, अराजपत्रित, गैरतकनीकी )

आ.यो. :स्नातक स्तर पर अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी/अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि।

अथवा

हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख विषयों के साथ स्नातक उपाधि (प्रमुख विषय का आशय अनिवार्य और वैकल्पिक से है)

प्रा. तैनाती : मेरठ (उत्तर प्रदेश ), अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित ।

का.अ. : हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के कार्य में सहायता करना तथा हिंदी सम्बंधी अन्य कार्य। ।

**श्रेणी–2 :** **पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक– ।।। का 01 पद**

रिक्तियॉ : 01 ( अन्य पिछड़ा वर्ग–01) ( विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त नहीं )

आयु : 18 से 27 वर्ष । अ.पि.व. श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आयुसीमा में 3 वर्ष छूट देय है। (अ.पि.व. के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये आयुसीमा 40 वर्ष + उपरोक्त छूट देय है।)

वेतनमानः पी0बी0–2, रु. 9300 – 34800 + रु. 4200 ग्रेड पे (पुनरीक्षण के उपरांत )।( समान्य केन्द्रीय सेवा पद, गैर मंत्रालयीय, अराजपत्रित समूह ग, गैरतकनीकी )

आ.यो. : किसी मान्यता विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक (बी.एस.सी.एग्रीकल्चर)

प्रा. तैनाती : जोगबनी ( बिहार ), अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित ।

का.अ. : 1. विदेशी कीटों, बीमारियों, निमैटोड,खरपतवार,विषाणु,जीवाणु,पतंगों आदि के प्रवेश को रोकने के विचार से यायातित पौधों तथा पौध सामाग्रियों के निरीक्षण के आयोजन में डि.आई.पी.अधिनियम 1914 तथा पी.एफ.एस. आदेश 1989 को प्रवर्तित करने में सहायता करना।

2. एफ.ए.सी. के अन्तराष्ट्रीय पौध संरक्षण कनवेशन 1951 के अनुसरण में फायटो सेनेट्री प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पौधों तथा पौध सामाग्रियों के निर्यात प्रमाणीकरण में सहायता करना ।

3. प्रयोगशाला में कीटों,बीमारियों,निमैटोड, खरपतवार, विषाणुओं, जिवाणुओं आदि की पहचान करने/पहचान की पुष्टि करने में सहायता करना।

4. कीटों रोगों निमैटोड,उपचार आदि पर वैशविक तकनिकी जानकारी में सहायता करना तथा भारत के साथ ही साथ विदेशों में उपलब्ध तकनिकी साहित्य पर आधारित कीट जोखिम विश्लेषण विकसित करने में सहायता करना।

5. आयातित/निर्यात योग्य पौधों/पौध सामाग्रियों के किटाणु शोधन/उपचार में सहायता करना ।

6. उच्च तकनीकि प्रयोगशाला उपकरणों यथा एलिसा, एक्सरे मशीन , अल्ट्रासेंट्रीफयूज आदि का संचालन/ संचालन में सहायता करना।

7. विभिन्न प्रयोगशाला प्रेक्षणों जैसे ब्लाटर टेस्ट, निमैटोड पहचान परिक्षण, उष्मायन परिक्षण तथा शीशाघर/पॉलीघर/जालघर में बृद्धि परिक्षण में भाग लेना तथा सहायता करना।

**निकट भविष्य में सौपे जा सकने योग्य दायित्व**

1. इलेक्ट्रॉन सुक्ष्मदर्शी और सॉफवेयर द्वारा प्रयोगशाला जॉच में सहायता करना।
2. विश्व व्यापार संगठन और स्वच्छता तथा पादप स्वच्छता मानक/अन्तराष्ट्रीय पादप सर्वेक्षण कनवेंशन के प्रावधानों के अनुरूप अन्तराष्ट्रीय मानक के विकास में सहायता करना।

**श्रेणी–3 :** **राष्ट्रीय बीज अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी में लाइब्रेरियन का 01 पद**

रिक्तियॉ : 01 (अनारक्षित–01), विकलांग ( एक पैर,एक हाथ, एक हाथ एक पैर, दोनो पैर और वधिर विकलांग) अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त परन्तु कोई आरक्षण नहीं ।

आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों को आयु में 13 वर्ष की छूट) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आयु में 10 वर्ष की छूट ।

वेतनमानः पी0बी0–1, रु. 5200 – 20200 + रु. 2400 ग्रेड पे (पुनरीक्षण के उपरांत )।( समान्य केन्द्रीय सेवा पद, गैर मंत्रालयीय, अराजपत्रित समूह ग ) ।

आ.यो. : 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
2. किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या समकक्ष से पुस्तकालय विज्ञान का प्रमाण पत्र

प्रा. तैनाती : वाराणसी, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित ।

का.अ. : पुस्कालय और रखरखाव के प्रभारी। वैज्ञानिक अनुसंधान और साथ ही प्रशिक्षण गतिविधियों में लिप्त कार्मिकों की सुविधा के लिए वैज्ञानिक साहित्य, पत्रिकाएं और अन्य पुस्तकों को बनाए रखना। वैज्ञानिक उन्नति आवश्यकता और समय की जरूरत के अनुसार पुस्किालय की पुस्तकों और पत्रिकाओं की खरीद और उन्नयन। राष्ट्रीय और अन्तराष्ट्रीय संगठनों में पुस्तकों और पत्रिकाओं की ऑन लाईन सदस्यता के लिए सुविधा । अन्य कार्य जो सक्षम अधिकारी द्वारा सौपा जाए।

**श्रेणी–4 :** **मुख्य रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय, लखनऊ में कनिष्ट हिंदी अनुवादक के 04 पद ।**

रिक्तियॉ : 04 (अ.ना.– 02, अ.पि.व.– 01, अ.ज.जा.– 01 ) { अस्थि विकलांग (40 प्रतिशत से अधिक) अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त पद}

आयु : 18–28 वर्ष के बीच । अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के लिए आयु में 3 वर्ष तथा अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट देय । (विभागीय अभ्यर्थियों एवं केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष । अ.पि.व. और अ.ज.जा. के केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए आयु सीमा क्रमशः 43 व 45 वर्ष ) अ.पि.व. व अ.ज.जा. के अस्थि विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आयु में क्रमशः 13 व 15 वर्ष की छूट देय है।

वेतनमानः पी0बी0–2, रु. 9300 – 34800 + रु. 4200 ग्रेड पे (पुनरीक्षण के उपरांत )।( समान्य केन्द्रीय सेवा पद, गैर मंत्रालयीय, अराजपत्रित समूह ग, गैरतकनीकी )

आ.यो. :स्नातक स्तर पर अनिवार्य और वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी/अंग्रेजी के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी/हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

अथवा

हिंदी और अंग्रेजी प्रमुख विषयों के साथ स्नातक उपाधि (प्रमुख विषय का आशय अनिवार्य और वैकल्पिक से है)

प्रा. तैनाती : उत्तर प्रदेश , अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित ।

का.अ. : हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के कार्य में सहायता करना तथा हिंदी सम्बंधी अन्य कार्य ।

**श्रेणी 5.** **<u>पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद में वैज्ञानिक सहायक–I के 04 पद</u>**

रिक्तियॉ : 04 ( अन्य पिछड़ा वर्ग–02, अना.–02 ) ( विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त नहीं )

आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच । अ.पि.व. श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट (केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष तथा अ.पि.व. के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये आयुसीमा में 43 वर्ष तक छूट देय है।)

वेतनमानः पी0बी0–1, रु. 5200 – 20200 + रु. 2800 ग्रेड पे (पुनरीक्षण के उपरांत )। (समान्य केन्द्रीय सेवा पद, गैर मंत्रालयीय, अराजपत्रित समूह ग, गैरतकनीकी )

आ.यो. : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातक (बी.एस.सी.–एग्रीकल्चर)

प्रा. तैनाती : लखनऊ, जोगबनी,, रूपड़िया और बनवासा , अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित ।

का.अ. : **<u>केन्द्रय एकीकृत कीट प्रबंध केन्द्रों पर कर्तव्य ।</u>**

**क्षेत्रीय कर्तव्यः** 1. खेतों में विभिन्न फसलों के कीटों, बीमारियों एवं खरपतवारों की स्थिति के नियंत्रण के लिए सर्वेक्षण में सहायता करना।
2. किसानों के लाभ के लिए उनके खेतों में एकीकृत कीट प्रबंध तकनीकों को लोकप्रिय बनाने में सहायता करना।
3. फसली कीटों, बीमारियों और खरपतवारों के जैविक नियंत्रण के लिए प्राकृतिक दुश्मनों को बढ़ाने एवं सुरक्षित रखने में सहायता करना।
4. राज्य अधिकारियों और किसानों के लिए जैव नियंत्रण कार्यक्रम को सम्मिलित करते हुए आई.पी.एम. में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायता करना।
5. कीटों, बीमारियों और खरपतवारों की स्थिति जिसमें उनके नियंत्रण की विधि तथा पौध संरक्षण उपकरण सम्मिलित हों, के बारे में सूचनाएं एकत्र करने एवं उनके रखरखाव में सहायता करना ।
6. सभी प्रकार के पौध संरक्षण कार्यो के संगठन एवं विकास में सहायता करना। तथा उच्च या नियंत्रक अधिकारियों के कार्यालयी आदेशों के अनुरूप अन्य कार्य करना।
7. कीटों के नियंत्रण के लिए हल्के फेरोमोन चिपकने वाले जाल आदि के संस्थापन एवं संचालन में सहायता करना।

**प्रयोगशाला कर्तव्य**

1. प्रयोगशाला परिस्थितियों में प्राकृतिक या कृत्रिम भोजन पर घरेलू कीटों परजीवियों, परभक्षियों, कीट रोग जनकों और पौध भक्षी कीटों को सामूहिक रूप से उगाने/पालने में सहायता करना।
2. कीट एवं हरबेरियम नमूनों को एकत्र करने, जमाने और वर्गीकरण करने में सहायता करना।

**<u>पौध संगरोध स्टेशनों पर कार्य</u>**

1. विदेशों से प्राप्त पौधों और सामाग्रियों का प्रेक्षण और निर्यात के उद्येश्य से पौधों तथा पौध सामाग्रियों का निरीक्षण करना तथा निरीक्षण करने में सहायता करना।
2. आयातित पौधों और पौध समाग्रियों को धुएं द्वारा किटाणु रहित करना व उपचार करना और उसमें सहायता करना, यदि आयातित प्रेषणें के परिक्षण से यह उपचार आवश्यक हो जाता है ।
3. निर्यात के उद्वेश्य से पौधों और पौध सामाग्रियों को धुएं द्वारा किटाणु रहित करना व करने में सहायता करना जहॉ आयात करने वाला देश सामान को जहाज में लादने से पहले इसका आग्रह करता है।
4. फयूमिगेशन को सम्भालना और उनके भण्डारण एवं अनुरक्षण की व्यवस्था करना क्योंकि ये अत्यंत विषैली गैंसें होती है।
5. धुएं द्वारा किटाणु रहित करने वाले उपकरण यथा फयूमीगेशन कक्ष, इलेक्ट्रिक ब्लोयर, उपयोग आदि का उचित अनुरक्षण और रखरखाव को देखना।

**टिड्डी चेतावनी कार्यालयों पर कर्तव्य**

1. अनुसूचित रेगिस्तानी क्षेत्रों में टिड्डी सर्वेक्षण करना ।
2. टिड्डियों के विरूद्ध नियंत्रण प्रक्रिया में सहायता करना।
3. किसानों को तकनिकी सलाह प्रदान करना।
4. अंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय बैठकों/कॉनफ्रेंस आयोजित करने में उच्चाधिकारियों की सहायता करना।
5. जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए टिड्डी प्रशिक्षण की व्यवस्था में सहायता करना।
6. उच्च अधिकारियों को सौपें गए दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों के निस्पादन में सहायता करना।

**टिड्डियों के क्षेत्रीय खोज स्टेशनों पर कर्तव्य**

1. टिड्डियों और टिड्डों के खिलाफ नये कीटनाशकों को परखने में सहायता करना।
2. रेगिस्तान में टिड्डियों के फलोरा के एकत्रण व पहचानने में सहायता करना।
3. प्रयोगशाला में टिड्डियों एवं टिड्डों के जैविक कारकों के अध्ययन में सहायता करना।
4. प्रयोगशाला में वैज्ञानिक उपकरणों के संचालन में सहायता करना।

**श्रेणी 6.** **<u>पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद में वरिष्ट वैज्ञानिक सहायक–I(रसायन विज्ञान) के 02 पद</u>**

रिक्तियॉ : 02 ( अना.–01 , अ.ज.जा.–01 ) ( विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त नहीं )

आयु : 30 वर्ष से अधिक नहीं । अ.ज.जा. श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट( केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष तथा अ.ज.जा.. के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये आयुसीमा 40 वर्ष है।)

वेतनमानः पी0बी0–2, रु. 9300 – 34800 + रु. 4200 ग्रेड पे (पुनरीक्षण के उपरांत )। (समान्य केन्द्रीय सेवा पद, गैर मंत्रालयीय, अराजपत्रित समूह ख, गैरतकनीकी )

आ.यो. : किसी मान्यता विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान (कार्बनिक/विश्लेषणात्मक/कृषि रसायन) में परास्नातक डिग्री या समकक्ष ।

वा.यो. : कीटनाशकों के विश्लेषण और संचालन तथा आधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों के संचालन का अनुभव ।

प्रा. तैनाती : कानपुर,(उत्तर प्रदेश) अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित ।

का.अ. : 1. कीटनाशकों के विश्लेषण एवं उनके प्रतिपादन जिसमें धूमकों अथवा कीटनाशक पैकेजिंग सामाग्रियो के भौतिक एवं रसायनिक विशेषताओं की जॉच में भाग लेना।
3.प्रयोशाला में विश्लेषक उपकरणों का प्रबंधन एवं संचालन करना।
4.अन्य सम्बंद्ध कार्य जो प्रयोगशाला के निमित सौंपा जाए।

**श्रेणी 7.** **<u>पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद में वरिष्ट वैज्ञानिक सहायक–।।। (रसायन विज्ञान) का 01 पद</u>**

रिक्तियॉ : 01 ( अना.–01 ) ( विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त नहीं )

आयु : 18 से 25 वर्ष । ( केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है।)

वेतनमानः पी0बी0–2, रु. 9300 – 34800 + रु. 4200 ग्रेड पे (पुनरीक्षण के उपरांत )।( समान्य केन्द्रीय सेवा पद, गैर मंत्रालयीय, अराजपत्रित समूह ग, गैरतकनीकी )

आ.यो. : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान के साथ स्नातक उपाधि ।

प्रा. तैनाती : कानपुर,(उत्तर प्रदेश) अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित ।

का. अ. : प्रयोगशाला कार्यों में सहायता करना।

प्रयोगशाला में स्टोर/उपकरणों का रख–रखाव।

विलयन तैयार करना एवं विलयन की तनुता निश्चित करना।

**श्रेणी 8. <u>पौध संरक्षण, संगरोध और भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद में तकनीकी अधिकारी–I का 01 पद</u>**

रिक्तियॉ : 01 ( अ.पि.व.– 01 ) ( विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त नहीं )

आयु : 18 से 27 वर्ष के बीच। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु में 3 वर्ष की छूट देय है। (अ.पि.व. के केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए आयुसीमा 43 वर्ष है।)

वेतनमानः पी0बी0–1, रु. 5200 – 20200 + रु. 2000 ग्रेड पे (पुनरीक्षण के उपरांत )।( समान्य केन्द्रीय सेवा पद, गैर मंत्रालयीय, अराजपत्रित समूह ग, गैरतकनीकी )

आ.यो. : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/कृषि विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट या विज्ञान ( जन्तु विज्ञान/वनस्पति विज्ञान/कृषि विज्ञान ) के साथ 10+2 उत्तीर्ण या समकक्ष।

प्रा. तैनाती : गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश) अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित ।

का. अ. : 1.पौध–संरक्षण सम्बन्धी सभी कार्यों चाहे वह क्षेत्र मे हो या कार्यालय में, तकनीकी अधिकारियों की सहायता करना।

2.कीटों एवं पौध बीमारियों के नमूनों, कीटों सम्बंधी सूचना, पौधों की बीमारियों एवं खर–पतवारों के एवकत्रण एवं रख–रखाव में सहायता करना और कीटनाशकों, पौध संरक्षण उपकरणों एवं विभिन्न प्रकार के सजावटी सामग्रियों और उनसे जुड़े अभिलेखों का रख–रखाव।

3.निदेशालय के नियंत्रक या उच्च अधिकारियों के आदेशों के अनूरूप पौध सरक्षण और स्टेशन या कार्यालय जिससे वे सम्बद्ध हों, से जुड़े सभी कार्य सम्पन्न करना।

**श्रेणी 09–** **केन्द्रीय जल आयोग, कार्यालय मुख्य अभियन्ता, ऊपरी गंगा घाटी संगठन, लखनऊ में वैज्ञानिक सहायक के दो पद।**

वेतनमान– रू 9300–34800, ग्रेड पे रू 4200/– (पुनरीक्षित) (सामान्य केन्द्रीय सेवा, अराजपत्रित, समूह ग, गैर मंत्रालयीय)

पद– 02 (अ.पि.व.– 01, अ.जा.– 01) (शा. वि. अभ्यर्थियों हेतु उपयुक्त पद लेकिन कोई आरक्षण नहीं)

आयु– 18 से 27 वर्ष के बीच। अ.पि.व. के अभ्यर्थियों के लिए आयु में 3 वर्ष तथा अ.जा. के अभ्यर्थियों के लिए आयु में 5 वर्ष की छूट देय । ( अ.पि.व. और अ.जा. के केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए आयु सीमा क्रमशः 43 व 45 वर्ष ) ।

आ. यो. – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी या भू–भौतिकी या भू–विज्ञान या मौसम विज्ञान या जल–मौसम विज्ञान में स्नातक उपाधि या समकक्ष।

प्रा. तै.– उत्तर प्रदेश, अखिल भारतीय सेवा दायित्व सहित।

कार्य अपेक्षाएँ–

1. संगणक द्वारा प्रतिकृति वर्षा आंकड़ों की जॉच करना
2. संगणकों द्वारा किये गये कार्यों एवं सभी अन्य परिकलनों की जॉच करना।
3. भारित वर्षा परिकलन के लिये थिजन पॉलीगान नेटवर्क का आरेखण करना।
4. ढ़ॉचागत तूफान के अध्ययन के लिये भारी वर्षा मंत्र का चयन करना।
5. स्वयं द्वारा आरेखित वर्षा ऑकड़ों का विश्लेषण और आवृत्ति सारिणी तैयार करना।

**1. <u>प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर :</u>**

अ.यो.–अनिवार्य योग्यता, वां.यो.–वांछनीय योग्यता, अना–अनारक्षित, अपिव–अन्य पिछड़ा वर्ग, अजा–अनुसूचित जाति, अजजा–अनुसूचित जनजाति, भूपूसै–भूतपूर्व सैनिक, शा.वि.–शारीरिक विकलांग, अ.वि.–अस्थि विकलांग, ब.वि.–बधिर विकलांग, दृ.वि.–दृष्टि विकलांग भा.डा. आ.–भारतीय डाक आदेश, के.भ.शु.टि.–केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट, प्रा.तै.–प्रारंभिक तैनाती, का.अ.–कार्य अपेक्षाएं, भ.नि.–भर्ती नियम।

**2. <u>देय शुल्क :</u>** 50/–(मात्र पचास रूपए)। अजा, अजजा, महिलाओं, शा.वि. और भूपूसै के लिए कोई शुल्क देय नहीं है। भूपूसै अभ्यर्थी, जिन्होंने पुनर्नियोजन के लिए भूपूसै के रूप में दिए गए लाभ उठाने के बाद केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल क्षेत्र में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया हो, किसी उच्चतर ग्रेड में दूसरे रोजगार प्राप्त करने के लिए भूपूसै के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट के पात्र हैं। किंतु ऐसे भूपूसै अभ्यर्थियों को भूपूसै को प्रदत्त शुल्क आरक्षण की सुविधा नहीं प्राप्त होगी तथा उन्हें इस भर्ती के लिए रू. 50/– का अपेक्षित शुल्क अदा करना होगा । भूपूसै के पुत्रों, पुत्रियों और उनके आश्रितो के लिए शुल्क में रियायत स्वीकार्य नहीं है। सैनिक सेवा के जो लिपिक अपनी कलर सेवा के प्रथम वर्ष में हैं, उन्हें परीक्षा शुल्क के भुगतान से छूट नहीं हैं।

**टिप्पणी :** परीक्षा शुल्क के भुगतान का तरीका महत्वपूर्ण अनुदेशों के पैरा–7 में बताया गया है।

**3. <u>प्रारम्भिक चयन :</u>** न्यूनतम निर्धारित योग्यता पूरी करने मात्र से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए हकदार नहीं होंगे। आयोग अभ्यर्थियों का प्रारम्भिक चयन उनकी शैक्षिक योग्यता, शैक्षणिक रिकार्ड, अंको की प्रतिशतता आदि के आधार पर कर सकता है तथा इस प्रकार से चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार देना होगा (प्रवीणता परीक्षा के साथ, जहाँ भी अपेक्षित हो)।

आयोग अपने विवेक से पदों की श्रेणियों में से किसी(/किन्हीं) के लिए भी, जहाँ वह आवश्यक समझे, साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाने से पूर्व उपयुक्त विषय में प्रवीणता परीक्षा आयोजित करने का निर्णय कर सकता है। प्रवीणता परीक्षा संबंधित विषय में होगी जिसके बारे में यथा समय अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा।

आयोग अपने विवेकानुसार पदों की उन श्रेणियों के लिए प्रवीणता परीक्षा न लेने का निर्णय भी कर सकता है जिनके लिए प्रवीणता परीक्षा निर्धारित है ।

**<u>छंटनी परीक्षण :</u>** आयोग अपने विवेक से, भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार, पदों की विशिष्ट अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, साक्षात्कार/प्रवीणता परीक्षा से पहले इन श्रेणियों में से किसी के लिए भी, जहाँ वह आवश्यक समझे, छंटनी परीक्षण कराने का निर्णय ले सकता है ।

केवल ऐसे अभ्यर्थी जो छंटनी परीक्षण में, आयोग के विवेकानुसार निर्धारित मानक पर, अर्हता प्राप्त करते हैं साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के पात्र होंगे।

**4. <u>आवेदन कैसे करें</u>** : विभिन्न श्रेणी के पदों हेतु अलग अलग आवेदन पत्र दिनांक **25.09.2010** के एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार में प्रकाशित प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। आवेदन पत्र दोहरे स्पेस में टाइप किया हुआ हो अथवा कंप्यूटर मुद्रित हो अथवा हाथ से साफ–साफ लिखा हुआ हो, किंतु उसका प्रारूप प्रकाशित प्रारूप के अनुरूप ही होना चाहिए। अभ्यर्थी रोजगार समाचार में छपे आवेदन पत्र की फोटो प्रति को आवेदन पत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं परन्तु सीधे तौर पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज/रोजगार समाचार की कटिंग को आवेदन पत्र के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए।

**टिप्पणी** : ऐसे आवेदन–पत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकार किया जा सकता है जो इस विज्ञापन में प्रकाशित प्रारूप के अनुरूप नहीं होंगे ।

**आवेदन पत्र क्षेत्रीय निदेशक (मध्य क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, 8 ए–बी, बेली रोड, इलाहाबाद–211002 को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शुल्क केवल के.भ.शु.टि. के रूप में होने चाहिए।**

## 5. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज :

(1) आवेदन पत्र पर केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट लगा हो जो जारी करने वाले डाक घर की मुहर से स्पष्ट रूप से निरस्त हो, जिससे निरस्तीकरण की तिथि स्पष्ट दिखे।

(2) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो, जिसके नीचे बॉक्स में अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हो, आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर चिपका हो (स्टेपल नहीं)। उसी फोटो की दूसरी प्रति भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में प्रयोग हेतु अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर आवेदन पत्र में फोटो के नीचे दिए बॉक्स में अवश्य होना चाहिए ( आवेदन पत्र के कालम 21 में½ । उन्हें आवेदन पत्र के अन्त में घोषणापत्र के नीचे ( कालम 22 में½ अपरिवर्तनीय हस्ताक्षर करनी चाहिए। हस्ताक्षर घसीट लिपि (बड़े अक्षरों में नहीं) में और एक ही प्रकार/भाषा में घोषणा के नीचे दिये गये खाली स्थान पर होना चाहिए।
(3) अपना पता लिखा एक पोस्ट कार्ड जिस पर 6/– का अतिरिक्त डाक टिकट लगा हो। अभ्यर्थी को पोस्ट कार्ड पर पद का नाम, श्रेणी संख्या तथा विज्ञापन संख्या अवश्य लिखना चाहिए ।
(4) 10 X 22 से.मी. आकार के अभ्यर्थी का पता लिखे हुए दो लिफाफे, जिनमें से एक पर 8/– मूल्य का डाक टिकट लगा हो ।
(5) अभ्यर्थी का नाम एवं डाक का पता लिखी हुई दो पर्चियाँ।
(6) अजा/अजजा/अपिव/अ.वि./दृष्टि वि.(अल्प दृष्टि)/ब.वि./भूपूसै समुदाय/श्रेणी के होने के दावे के समर्थन में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतियाँ। अभ्यर्थी जो अपिव श्रेणी के होने का दावा करते हैं उन्हें विज्ञापन में दिए गए निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि (**25.10.2010** ) या उससे 3 वर्ष पूर्व तक का प्रमाण पत्र जो उनके क्रीमिलेयर में न शामिल होने को प्रमाणित करता हो, संलग्न करें ।
(7) शैक्षिक योग्यताओं तथा आयु को दर्शाने वाले प्रमाण पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियाँ ।
(8) आयु में छूट के दावे के समर्थन में दस्तावेज (उपर्युक्त मद (6) के अंतर्गत न आने वाली श्रेणियों के लिए)
(9) अनुभव प्रमाण–पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियाँ।
(10) सरकारी सेवारत अभ्यर्थियों को एक वचन पत्र देना होगा कि उन्होने अपने कार्यालय/विभाग प्रमुख को लिखित रूप में सूचित कर दिया है कि उन्होने इस विज्ञापन के आधार पर आवेदन पत्र भेजा है । वे केन्द्रीय सरकारी सिविल सेवारत अभ्यर्थी जो आयु सीमा में छूट चाहते है उन्हे निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट–V½ में अपने कार्यालय प्रमुख से प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा । जो विभागीय अभ्यर्थी/केन्द्र सरकार सिविल सेवा कर्मचारी ऊपरी आयु सीमा में छूट का दावा कर रहे है उन्हें कम से कम तीन वर्ष लगातार सेवा नियमित आधार पर (न कि तदर्थ आधार पर) करने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।

**टिप्पणी :**
(1) अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा मैट्रिक या समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्म तिथि ही स्वीकार की जाएगी और बाद में उसमें परिवर्तन हेतु किसी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा ।
(2) आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त दस्तावेजों के प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर पर अस्वीकृत किया जा सकता है तथा इस संबंध में किसी भी प्रार्थना पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
(3) अधूरे अथवा बिना हस्ताक्षर (अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में हस्ताक्षर) अथवा बिना फोटो वाले आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(4) अभ्यर्थी को विज्ञापन के श्रेणी विशेष के लिए एक आवेदन पत्र ही प्रस्तुत करना है। विज्ञापन के अलग–अलग श्रेणी के पदों के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने हैं।
(5) सभी प्रमाण–पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां स्पष्ट और पठनीय होनी चाहिए। प्रमाण पत्रों की पठनीय प्रतियों के बिना आवेदन पत्र को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।
(6) आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा अपनी हस्तलिपि में ही भरा जाएगा ।
(7) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र व अन्य प्रमाण पत्रों पर किए गए सभी हस्ताक्षर एक ही प्रकार व भाषा में होने चाहिए और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए अन्यथा आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

## 6. महत्वपूर्ण अनुदेश :

(i) शैक्षिक योग्यताओं के समर्थन में प्रमाण पत्र किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से प्राप्त किये होने चाहिए। जिन अभ्यर्थियों के अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्रो में प्राप्तांक/प्रतिशत के स्थान पर ग्रेड अंकित हों उन्हें सम्बंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उचित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा जिसमें अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अकों का प्रतिशत स्पष्ट रूप से वर्णित हो ।
(ii) आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि **25.10.2010** है।

(iii) आयु सीमा, अनिवार्य योग्यताओं व अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु क्रीमिलेयर में न शामिल होने सम्बंधी की निर्णायक तिथि **25.10.2010** है।ऊपरी आयु सीमा, में अजा/अजजा के लिए 5 वर्ष, अपिव के लिए 3 वर्ष, शा.वि. के लिए 10 वर्ष तक तथा अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों, जैसे भूपूसै, के लिए भी प्रचलित आदेशों के अनुसार छूट है। अजा/अजजा के अभ्यर्थियों को परिशिष्ट–III में दिये गए प्रारूप में निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी प्रकार अपिव के अभ्यर्थियों को परिशिष्ट–IV में दिये गये प्रारूप में अंतिम तिथि **25.10.2010** या उससे 3 वर्ष पूर्व का निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूपूसै के पुत्रों व पुत्रियों को कोई भी छूट स्वीकार्य नहीं है। शा.वि. अभ्यर्थियों को परिशिष्ट–VI में दिये गए प्रारूप में निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(iv) भूटान में चुखा पनबिजली परियोजना प्राधिकरण के छंटनी किए गए उन कर्मचारियों को, जिन्हें सीधे ही भर्ती किया गया था, उनको प्राधिकरण में की गई नियमित सेवा की अवधि के बराबर ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी (निकाले गये कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि चुखा पनबिजली परियोजना प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र के आधार पर तय की जाएगी)।

(v) जो अभ्यर्थी 01.01.1980 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के सामान्यतया मूल निवासी रहे हैं, वे ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट के पात्र होंगे। इस छूट हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा :–

(क) जिला मजिस्ट्रेट, जिसके अधिकार क्षेत्र के वे सामान्यतया मूल निवासी थे, अथवा

(ख) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा इस संबंध में नामित किसी अन्य प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कि वे 1.1.80 से 31.12.1989 की अवधि के दौरान सामान्यतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हैं।

(vi) जो विभागीय अभ्यर्थी/केन्द्र सरकार सिविल सेवा कर्मचारी ऊपरी आयु सीमा में छूट का दावा कर रहे है उन्हें कम से कम तीन वर्ष लगातार सेवा नियमित आधार पर (न कि तदर्थ आधार पर) की हो और उन्हें परिशिष्ट–V में दिये गए प्रारूप में निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) **<u>समूह ग पदों हेतु</u>** सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तो को पूरा करने वाले भूपूसैं को अपनी वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि को घटाने की अनुमति होगी और इस प्रकार प्राप्त परिणामी आयु निर्धारित आयुसीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ( 6 वर्ष अपिव और 8 वर्ष अजा/अजजा के लिए ) ।

**<u>समूह ख पदों हेतु</u>** सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शर्तो को पूरा करने वाले समान्य श्रेणी के भूपूसैं अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयुसीमा में 5 वर्ष, अपिव के भूपूसैं के लिए 7 वर्ष और अजा/अजजा के भूपूसैं के लिए 10 वर्ष की छूट देय है।

(viii) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.04.1992 के का.ज्ञा.सं. 36034/6/90–स्था.–एससीटी के अनुसार ऐसे भूपूसै अभ्यर्थी, जिन्होंने पुनर्नियोजन के लिए भूपूसै के रूप में दिए गए लाभ उठाने के बाद केन्द्रीय सरकार के अधीन सिविल क्षेत्र में पहले ही रोजगार प्राप्त कर लिया हो, किसी उच्चतर ग्रेड में दूसरे रोजगार प्राप्त करने के लिए भूपूसै के लिए निर्धारित आयु सीमा में छूट के पात्र हैं। किंतु ऐसे भूपूसै अभ्यर्थियों को भूपूसै को प्रदत्त आरक्षण की सुविधा नहीं प्राप्त होगी तथा उन्हें इस भर्ती के लिए रू. 50 का अपेक्षित शुल्क अदा करना होगा।

(ix) किसी भूपूसै की सशस्त्र सेना में आह्वान पर सेवा (काल–अप–सर्विस) की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा मानी जायेगी। आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के प्रयोजन से संघ की तीनों सेनाओं के किसी भी सैनिक को भूपूसै के रूप में माने जाने के लिए आवश्यक है कि उसने पद/सेवा के लिए अपना आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया हो तथा/अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा अपनी इस अर्जित पात्रता को सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि अर्थात् **25.10.2010** से एक वर्ष की निश्चित अवधि के भीतर अपनी सेवा अवधि पूरी कर सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त/सेवामुक्त हो जायेगा। भूपूसै अभ्यर्थी को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा.सं.36034/2/91–स्था (एसटीसी), दिनांक 3.04.1991 में निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक प्रमाणपत्र/वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा (परिशिष्ट–I एवं II)।

(x) ऊपरी आयु सीमा में छूट आरक्षित वर्गों जैसे अजा/अजजा/अपिव/भूपूसै/शा.वि. के पदों/रिक्तियों के लिए ही है। अजा/अजजा/अपिव श्रेणी के जो अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के पदों/रिक्तियों के लिए आवेदन करेंगे उन्हें आयु सीमा में कोई छूट नहीं मिलेगी।

(xi) **<u>समूह ग पदों हेतुः</u>** विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अनारक्षित/सामान्य) वे आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक 35 वर्ष की आयु तक आयुसीमा में छूट देय है । उसी प्रकार अपिव और अजा/अजजा की विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो आयुसीमा में क्रमशः 3 वर्ष एवं 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय है ।

**7.** अभ्यर्थियों को केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकटों के रूप में शुल्क का भुगतान करना होगा जिसके लिए कोई भी कमीशन डाकघर को भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये टिकट देश के सभी विभागीय डाकघरों में उपलब्ध हैं। ये भर्ती टिकट आवेदन पत्र के ऊपर बायें कोने पर इस प्रयोजन हेतु निर्धारित स्थान पर चिपका दिये जाएँ। इन भर्ती शुल्क टिकटों को (जारी करने वाले डाकघर सहित) किसी भी डाकघर के लिपिक द्वारा उस डाकघर की तारीख वाली मुहर से इस प्रकार निरस्त करा लेना चाहिए कि इसकी छाप बिल्कुल साफ एवं सुस्पष्ट हो ताकि बाद में जारी करने वाले डाकघर एवं दिनांक की पहचान करने में आसानी रहे। डाकघर द्वारा भर्ती शुल्क टिकटों के निरस्त किए जाने तथा अन्य औपचारिकताओं की पूर्ति करने के बाद अभ्यर्थी सामान्य तरीके से अपना आवेदन आयोग के मध्य क्षेत्रीय कार्यालय पर जमा कर सकते हैं ।

**टिप्पणी** : (i) एक बार अदा किया गया परीक्षा शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

(ii) भारतीय डाक आदेश, नकद, बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के माध्यम से अदा किया गया परीक्षा शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।

**8. इस विज्ञापन के माध्यम से उसी विभाग अथवा अन्य विभाग के समान/तुलनात्मक पदों की अन्य रिक्तियाँ भी भरी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त रिक्तियों में बिना पूर्व सूचना के परिवर्तन हो सकता है।**

**9.** साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अजा/अजजा के अभ्यर्थियों को सरकारी आदेशों के अनुसार यात्रा भत्ता दिया जायेगा। छंटनी परीक्षण यदि साक्षात्कार के अलावा किसी अन्य दिन आयोजित किए जाते हैं तो उसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

**10.** किसी भी रूप में सिफारिश करने/करवाने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

**11.** पदों पर नियुक्ति के बाद निष्पादित किए जाने वाले मुख्य कार्यों को समझने के लिए अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु प्रत्येक श्रेणी के नीचे पदों की कार्य अपेक्षाओं को दर्शाया गया है।

**12.** यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए तथा अलग से शुल्क भी अदा करना चाहिए। अभ्यर्थियों को यह भी नोट कर लेना चाहिए कि एक लिफाफे में केवल एक ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र होना चाहिए।

**13. अनिवार्य योग्यताओं के समर्थन में प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना :**

(i) अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में प्रवीणता वाले पद(ों) का आशय यह है कि अभ्यर्थी ने मैट्रिक स्तर तक उस भाषा/बोली का अध्ययन अवश्य किया हो तथा संगत भाषा/बोली को मैट्रिक में एक विषय के रूप में न पढ़ाये जाने की दशा में, उक्त भाषा/बोली अभ्यर्थी की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए अथवा उसे इसका कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए, जिसका निर्धारण कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा।

(ii) जहाँ पदों के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के क्षेत्र विशेष/विषय में अनुभव को अनिवार्य योग्यता के रूप में दर्शाया गया है, ऐसे मामलों में अभ्यर्थियों को उस क्षेत्र/विषय में अनुभव के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

**टिप्पणी :**

(i) यदि अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त दस्तावेज/ प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता भर्ती–प्रकिया के किसी भी चरण में सरसरी तौर से अस्वीकृत की जा सकती है।

(ii) प्रमाणपत्रों तथा अंकतालिकाओं की केवल अनुप्रमाणित/स्वप्रमाणित प्रतियाँ ही भेजी जानी चाहिए। मूल प्रमाणपत्रों/अंकतालिकाओं को आवेदन पत्र के साथ न भेजें। सभी प्रतियाँ पठनीय होनी चाहिए।

**14.** अनियमित या दैनिक कर्मचारियों के अलावा सरकारी सेवा या लोक उद्यमों में कार्यरत सभी अभ्यर्थियों को, चाहे वे स्थायी हों या अस्थायी या कार्य प्रभारित कर्मचारी हों, इस आशय का एक वचनपत्र देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को यह लिखित सूचना दे दी है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। ये विभागीय अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र अपने कार्यालय/विभाग के प्रमुख को सूचित करने के बाद आयोग को सीधे भेज सकते हैं और उन्हें दूसरी प्रति उचित माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, यदि वे उचित माध्यम से एक प्रति भेजना चाहते हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र अंतिम तारीख तक कर्मचारी चयन आयोग को प्राप्त हो जाएँ। आवेदन पत्र यदि देर से प्राप्त होते हैं और/या नियमानुसार सभी प्रकार से पूर्ण नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

अभ्यर्थी इस बात को नोट कर लें कि यदि उनके नियोक्ता से आयोग को कोई ऐसा पत्र मिलता है कि अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग लेने हेतु आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा/उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

**15.** ऐसा कोई भी व्यक्तिः

क. जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित हैः या

ख. जिसने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का अनुबंध किया है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

हालांकि कि केन्द्र सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दुसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानूनों के अन्तर्गत अनुमन्य है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से मुक्त कर सकती है।

**16-** अभ्यर्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होनो चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के एक अधिकारी के रूप में उसके कुशल कार्य निष्पादन मे रूकावट बनने की संभावना हो । जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षा के बाद इन अपेक्षाओं को पूरा करता हुआ न पाया गया तो उसे नियुक्ति प्रदान नहीं की जाएगी । केवल ऐसे ही अभ्यर्थियों की चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी जिनकी नियुक्ति हेतु विचार किए जाने की संभावना है ।

**17.** इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद इलाहाबाद स्थित न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा।

**18** अभ्यर्थी स्वयं को विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यक योग्यता के अनुरूप संतुष्ट कर लें कि जिस पद हेतु वे आवेदन कर रहें हैं उस पद हेतु वे योग्य हैं। किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि वे योग्य नहीं है तो उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी। आयोग प्रारम्भिक चरणों में आवेदनों की जॉच नहीं करता और मात्र तथ्य यह है कि वे साक्षात्कार/ दक्षता परीक्षण के लिये बुलाये गये हैं आयोग को उनकी अभ्यर्थिता निरस्त करने से नहीं रोकता है यदि वे पद हेतु योग्य नहीं पाये जाते हैं।

**19.** सभी तरह से पूर्ण आवेदन पत्र कर्मचारी चयन आयोग (म.क्षे.), 8 ए–बी, बेली रोड, इलाहाबाद में अधिक से अधिक **25.10.2010** तक पहुँच जाने चाहिए। असम, मेघालय, अरुणांचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, हिमांचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल, अंडमान और निकोबार द्वीपों लक्षद्वीप और विदेशों में रहने वाले अभ्यर्थियों के मामले में आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तारीख **01.11..2010** होगी। आवेदन पत्र यदि देर से प्राप्त होते हैं और/या नियमानुसार सभी तरह से पूर्ण नहीं हैं तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जायेगा।

# कर्मचारी चयन आयोग

## आवेदन पत्र

| |
|---|
| विज्ञापन की तिथि : 25-09-2010<br>अंतिम तिथि : 25-10- 2010 |

## चयन पदों के आवेदन–पत्र भरने के लिए अनुदेश

1. यह नोट किया जाए कि आयोग अपनी सभी भर्तियों के लिए समान प्रपत्रों का उपयोग करता है। भर्ती के लिए कृपया विज्ञप्ति को पढ़ लें और विज्ञप्ति में उल्लिखित किसी पद को भरने से पहले इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। आप स्वयं को सन्तुष्ट कर लें कि आप इस पद के लिए पात्र हैं, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं।

2. आवेदन पत्र भरने के लिए केवल नीले/काले पेन का प्रयोग करें।

3. आवेदन पत्र में ही अधिकतर मदों के लिए अनुदेश दिए गए हैं, जिन्हें खाने भरने से पहले सावधानी–पूर्वक पढ़ लेना चाहिए। जिन मदों के अनुदेश उपलब्ध नहीं हैं अथवा अतिरिक्त स्पष्टीकरण की आवश्यकता है उसके लिए नीचे दिए गए अतिरिक्त अनुदेशों का सावधानी पूर्वक पढ़ें।

4. कॉलम 10 को सावधानीपूर्वक भरा जाए। भूतपूर्व सैनिकों को भी कॉलम 10 एवं 10.1 को भरने की आवश्यकता है।

5. शा0वि0 अभ्यर्थियों को जहॉं लागू हो, कॉलम 10,11, 11.1, 16 और 16.1 भरने की आवश्यकता है। आयोग कुछ पदो के लिए स्क्रीनिंग/कौशल परीक्षण का आयोजन करने का निर्णय ले सकता है, अतः दृष्टिविकलांग अभ्यर्थियों को कॉलम 16 और 16.1 भरना चाहिए।

6. कॉलम संख्या 12.1 इस कॉलम को भरने के लिए श्रेणी कोड **परिशिष्ट– VIII** पर उपलब्ध है।

7. सभी श्रेणियों के लिए आवेदन प्राप्ति की सामान्य अन्तिम तिथि के अनुसार आयु दर्शायी जानी चाहिए।

8. कॉलम 17 शैक्षिक योग्यता की सूची **परिशिष्ट–**VI में उल्लिखित विषय सम्पूर्ण नहीं हैं। जो अभ्यर्थी **परिशिष्ट–** VII में दी गयी सूची में उल्लिखित योग्यता रखते हों अथवा जिन्होंने इससे अलग विषय पढ़ा हो वह योग्यता और /अथवा विषय कोड के लिए अन्य का उपयोग कर सकते हैं।

9. अभ्यर्थी आवेदन करने वाले पद की अनिवार्य योग्यता ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वह इसे पूरी करते हैं। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य योग्यता के समर्थक दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जायें। ऐसा न करने पर उनके आवेदन पत्रों का सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

10. कॉलम संख्या 19: अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अथवा हिन्दी में अपने नाम सहित अपना पूर्ण पता नीले/काले बॉल पेन से भरें। खाने में 6 नम्बर का पिनकोड लिखना न भूलें।

11. कॉलम संख्या 20: अपने 4x5 सेमी आकार का हाल ही का फोटोग्राफ चिपकाएं। फोटो का स्टेपल न करें और न ही अनुप्रमाणित करें। कृपया नोट करें कि फोटोग्राफ के बिना आपका आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।

12. कॉलम 21 और 22: कृपया घसीट लिपि में हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर–रहित आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में किए गए हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किए जाएंगे और आपके आवदेन पत्र को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। हस्ताक्षर में भिन्नता भी आवेदन निरस्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

# कर्मचारी चयन आयोग Staff Selection Commission

## Application Form/ आवेदन प्रपत्र

कृपया नोटिस में उम्मीदवारों के लिए दिए गए अनुदेश को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। बॉक्सो ( ) में लिखने के लिए नीले या काले बॉल पेन का प्रयोग करें।
**Please read instruction to candidates in the notice carefully. Use Blue or Black ball pen to write in the boxes ( )**

1. विज्ञापन सं// **Advertisement No.**
2. श्रेणी सं/ **CAT No.**
3. उमीदवार का पूरा नाम (अंग्रेजी में) मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दिए गए नाम के अनुसार बड़े अक्षरों में लिखें। नाम के किन्हीं दो भागों के बीच एक बक्से को खाली छोड़ दें।
**Candidate's Full Name (in English). Write in Capital Letter exactly in Matriculation Certificate. Leave a box blank between any two parts of the name**
4. पिता का नाम (बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखें)/ **Father's Name (Write in Capital Letters in English)**
5. माता का नाम (बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में लिखें)/ **Mother's Name (Write in Capital Letters in English)**

6. जन्म की तारीख /Date of Birth — दिन / Day, माह / Month, वर्ष / Year
7. लिंग/Gender (Write 2-Femals & 1- Male)
8. राष्ट्रीयता/Nationality (Write 1-Indian & 2-Others)
9. शुल्क /Fees (write1-Fee paid & 2-Examption clemed)
10. श्रेणी / Category (Write 9-General, 1- SC, 2-ST & 6-OBC)
10. 1 क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं / Whether Ex-Serviceman (Write 3- Ex-Servicaman)
11. क्या आप शारीरिक विकलांग हैं? / Whether PH? (Write 1-Yes, 2-No)
11. 1. यदि हाँ, को अंकित करें If Yes, indicate Code (Write 4-OH, 5-HH, 7-VH)
12. क्या आप आयु सीमा में छूट चाहते हैं? Whether seeking Age relaxation (Write 1- Yes, 2- No.)
12. 1 यदि हाँ, कोड अंकित करें If Yes, indicate Code (Write two digit Numeric Code)
12. 2 अवेदन प्राप्ति की सामान्य अन्तिम तिथि को आयु Age as on normal closing date — Years, Months, Days
13. पदों की वरीयता/ Preference for Posts — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
14. भूतपूर्व सैनिक के लिए / Fcr Ex-Servicmen — सेवा अवधि / Length of Service (in Years) — सेवा समाप्ति तिथि / Date of Discharge — D D M M Y Y
15. क्या आप अल्पसंख्यक हैं
Whether belong to Minority Communities as per Govt. Orders (Write 1 Yes, 2- No.)
16. यदि दृष्टि बाधित विकलांग है तो क्या आपको प्रलिपिक की आवश्यकता है? If VH, whether scribe is required? (write 1-Yes, 2-No)

16.1० यदि हों तो माध्यम अंकित करें, अंग्रेजी के लिए 1 हिन्दी के 2
If yes, indicate medium. Write 1 for English, 2 for Hindi

......यहां से मोंडे........................FOLD HERE.....................................................................................यहां से मोंडे......................FOLD HERE............................

17.
- शैक्षिक कोड **Educational Qualification Code**
- विषय कोड **Subject Code**
- अंक का प्रतिशत **Percentane of Marks**
- माध्यम **Medium** — अंग्रेजी के लिए 1 लिखें, हिन्दी के लिए 2 लिखें व अनय के लिए 3 लिखें Write for English, for Hindi & for Others

18. कार्य अनुभय का विवरण/ **Details of work Experience**

| संस्था का नाम Name of the organisations (s) | पद का नाम Designation | कार्य का विवरण Nature of Duty (ies) | कार्य की अवधि /Period of Service से/ From | तक/ To |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

19. पता : अपने नाम सहित पत्र व्यवहार का पूरा पता अंग्रेजा मे बड़े अक्षरों मे या हिन्दी में नीले या काले बॉल पेन से लिखें।
Address : Write your complete Communication Address including Name in English Capital Letters or Hindi with Blue Ball Pen.

(परीक्षा के नोटिस में अनुदेश देखें) See Notice of the Exam For Instructions

नाम Name : ..........................................
पता Address :..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
पिन PIN :

**20. फोटोग्राफ**
4 से.मी.० 5 से.मी. आकार का हाल ही में खींचा गया फोटोग्राफ यहाँ ठीक ढंग से चिपकायें। (स्टेपल न करें। फोटो को संस्थापित न करवाएं)
Photograph Paste here family your recent photograph (4c.m.x5c.m.) (Do not stepler Do not get the Photograph attested)

अनुक्रमांक (केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)
Roll Number (for office use only)

21. Signature of Candidate (Only in running Hand)

अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा
Unsigned application will be rejected

19.1 मोबाइल / Mobile No.:......
ई.मेल/E-mail ID :...........

Space for cancellation stamp by post office after affixing CRF stamp
के. भ. शुल्क टिकट चिपकाने के बाद डाकघर द्वारा रद्द किये जाने वाले टिकट हेतु स्थान

23. के.भ. शुल्क टिकट के लिए स्थान
Space for CRF Stamp

[illegible]
(स्टेपल न करें)

Paste here firmly CRF Stamp of requisite denomination and get it cancelled from the post office from where purchased.
(Do not Staple)

## 22. घोषणा/Declaration

(1) मैंने इस भर्ती के लिए कोई और आवेदन पत्र नहीं भेजा है मुझे यह मालूम है कि यदि मैं इस नियम का उल्लंघन करता/करती हूं तो आयोग द्वारा मेरा आवेदन पत्र सीधे तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

I have not submitted any other application for this examination. I am aware that if I contravene this rule, my application will be rejected summarily by the Commission.

(2) [illegible]

I have read the provisions in the Notice of the examination carefully and I here by undertake to abide by them.

(3) [illegible]

I further declare that I fulfill all the conditions of eligibility regarding age limits, educational qualifications etc., prescribed for admission to the examination.

(4) [illegible]

I also declare the do not stand debarred by SSC/UPSC/CPWD/MES/Dept. of osts as on date and have never been convicted by any court of law.

(5) [illegible]

[illegible]

For Central Govt. Civilian Employes seeking age relaxation

I declare that I am a Central Govt. Civilian Emplyee and completed 3 years regular service or regular length of service stipulated in the Notice of the examination on or before date of closing of submitting application form given in the Notice.

(6) [illegible]

[illegible] 8-9-1993 [illegible] 36012/22/93 [illegible]

For Candidate belonging to OBC

I declare that belong to the commuity which is recognized as a backward class by the Govt. of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Deptt. of Personnel and Training office Memorandum No. 36012/22/93- Esst. (SCT) dated 8-9-1993. I also declare that I do not belong to the person/section (creamy layer) mentioned in column 3 of the scheduls of the OM mentioned above and modified vide Govt. of India DOPT OMs mentioned in the Notice. I further declare that I amin possession of OBC Certificate in the prescribed format given in the Notice of the examination.

(7) [illegible]

[illegible]

For Candidate belonging Ex-Serviceman

I declare that fulfill all the eligibility condition relating to Ex-Serviceman as per notice of exam.

(8) [illegible]

I hereby declare that all statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/false or incorrect or inligibility being detected before or after the examination, my chandidature/ appointment is liable to be cancelled.

उम्मीदवार के हस्ताक्षर (केवल चलित हस्तलिपि में)
Signature of Candidate (only in running hand)

स्थान / Place ........................................

तारीख / Date : D D M M Y Y

*यदि लागू न हो तो यह लाईन काट दें।
*Stricke of this sentence if not applicable

अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र को रद्द कर दिया जायेगा
Unsigned application will be rejected

## महत्वपूर्ण निर्देश

(1) एक लिफाफे में केवल एक ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र होना चाहिए। इस नियम के उल्लंघन पर आयोग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(2) **जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेजा जा रहा हो उस पर स्पष्ट अक्षरों में ''विज्ञापन सं.–मक्षे–2/2010 की श्रेणी............ के तहत विज्ञापित ...................... पद के लिए आवेदन पत्र'' अवश्य लिखा होना चाहिए।**

(3) यदि आवेदन पत्र में अपूर्ण सूचना/झूठी सूचना/तथ्यों को तोड़–मरोड़कर सूचना दी गई है/हस्ताक्षर नहीं किया गया है (अथवा अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में किया गया है)/शुल्क देय है और अदा नहीं किया गया है/उचित स्थान पर फोटो नहीं लगाया गया है/शैक्षिक योग्यता, आयु तथा श्रेणी (अजा/अजजा/भूपूसै/अ.वि./ब.वि./अपिव) के दावे के समर्थन में प्रमाण–पत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियां नहीं लगाई गई हैं या एक पद हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र भेजे गए हैं तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(4) यदि किसी अभ्यर्थी ने मैट्रिक/एसएससी/हायर सेकेंडरी के बाद अपने नाम में से कुछ शब्द निकाल दिए हैं या जोड़ दिये हैं या नाम परिवर्तन कर दिया है तो उसे इस आशय के राजपत्र (अधिसूचना) की एक अनुप्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसने मैट्रिक आदि के बाद अपना नाम बदल लिया है। यह परिवर्तित नाम भी राजपत्र (अधिसूचना) में निर्दिष्ट होना चाहिए।

(5) आयोग डाक विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(6) अभ्यर्थी को आवेदन पत्र पर फोटो के नीचे बने बॉक्स (कॉलम 21) में हस्ताक्षर और आवेदन पत्र के अंत (कॉलम 22) में एक समान हस्ताक्षर करने चाहिए। यदि विभिन्न स्थानों पर किए गए उसके हस्ताक्षरों में अन्तर पाया जाता है तो आयोग द्वारा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। हस्ताक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए ।

(7) अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अपना पता लिखा हुआ एक पोस्ट कार्ड जिस पर 6/–रू. की अतिरिक्त टिकट लगी हो, तथा 12× 25 सेमी आकार के अपना पता लिखे हुए दो लिफाफे, जिन पर अभ्यर्थी का नाम और पता लिखा हो, अवश्य लगाना चाहिए। इनमें से एक लिफाफे पर 8/– रू. की डाक टिकट लगी हो, और अपना पता लिखी हुई दो पर्चियां भी आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(8) अभ्यर्थी इस विज्ञप्ति के सभी उपबंधों को ध्यानपूर्वक पढ़कर यह सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं, उसके संबंध में निर्णायक तारीख को आयु, शैक्षिक योग्यता इत्यादि की अपेक्षाओं के अनुसार वे पात्र हैं।

(9) अभ्यर्थी स्वंय संतुष्ट हो लें कि वे, जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस पद के लिए निर्धारित पात्रता शर्तो को पूरा करते हैं तथा उन्होनें आवश्यक प्रमाण पत्रों (जहॉ लागू हो वहॉ निर्धारित प्रारूप में) को संलग्न किया है । यदि किसी चरण में यह ज्ञात होता है कि अभ्यर्थी पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करता है अथवा उसने आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्रों को संलग्न नहीं किया है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी ।

**परिशिष्ट–I**

**सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र**
**(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा–6(ग) को देखें।)**

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार ..........................................................(नंबर) ..... .........................................(रैंक) ........................................................................................................ (नाम) ......................................................................... (दिनांक) को सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

कमान अफसर के हस्ताक्षर

स्थानः
दिनांक : कार्यालय की मुहर

**परिशिष्ट–II**

**विज्ञप्ति के पैरा 6(पग) के अंतर्गत आने वाले भू.पू.सै. अभ्यर्थियों द्वारा दिया जाने वाला वचन पत्र**

मैं यह जानता/जानती हूँ कि इस भर्ती/परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है, के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता अधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए कागजी साक्ष्य और उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत मुक्त/सेवानिवृत्त/कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं समय–समय पर यथा संशोधित भूपूसै (केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति) नियमावली, 1979 की शर्तों के अनुसार भूपूसै को देय लाभों का/की अधिकारी हूँ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय/सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होऊँगा/होऊँगी।
मेरे विषय में अतिरिक्त जानकारी इस प्रकार है :–

1. रक्षा सेवा में नियुक्ति का दिनांक–
2. रक्षा सेवा से सेवा मुक्त होने का दिनांक–
3. रक्षा सेवा में कार्यकाल–
4. आखिरी यूनिट/कॉर्प्स का पूरा पता दूरभाष सहित–
5. पुनरनियोजन के उपरांत नियुक्ता नाम व पता दूरभाष सहित–

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थानः
दिनांक :

**परिशिष्ट–III**

## अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाणपत्र का प्रपत्र

*जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है उसे अपने दावे के समर्थन में, नीचे दिए गए प्रपत्र पर, जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले, जिसमें उसके माता–पिता (या जीवित माता/पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी से, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी होगी। यदि उसके माता–पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी, अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त, सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा, कोई अन्य प्रमाणित या सत्यापित प्रतिलिपि नहीं।*

*(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)*

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ............................................................................पुत्र/पुत्री* श्री .. ............................................................... निवासी ग्राम/कस्बा *................................................ जिला/संभाग* .............................. ................................ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ....................................... की ...............................................जाति/जनजाति* से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त हैंः–

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951*
संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ शासित प्रदेश आदेश, 1951*
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956, मुम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959।
संविधान (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
संविधान (दादरा एवं नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@
संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@
संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@
संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ शासित प्रदेश प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*...........................................................के माता/पिता श्री/श्रीमती*................... ..............................................निवासी ग्राम/कस्बा*........................................................ जिला/संभाग*............................................ प्रदेश/संघ शासित प्रदेश*............................................................को प्रदत्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र

के आधार पर जारी किया जाता है जो .................................. .......जाति/जनजाति से संबंधित हैं, जो ................................. .....दिनांक...........................के द्वारा जारी आदेश के अनुसार.............................................................राज्य/संघ शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी.................................................................और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*........ ...........................................................जिला/संभाग*................................................................... राज्य/संघ शासित प्रदेश............... .................................में रहता है।

हस्ताक्षर .............................................
पदनाम ...............................................

(कार्यालय की मुहर सहित)

राज्य/संघ शासित प्रदेश.............................................
स्थान :.................................................
दिनांक :..........................................

*जो लागू न हों उसे काट दें।
@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।
% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

**टिप्पणी**: यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूचीः–

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त–उपायुक्त/डिप्टी कलैक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडियरी मजिस्ट्रेट/सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**टिप्पणी** : तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

**परिशिष्ट–IV**

## भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.................................................... पुत्र/पुत्री* श्री..........................................ग्राम ................................ ....जिला/संभाग*....................................... प्रदेश........................................................के निवासी...........................................समुदाय से संबंधित हैं, जो निम्नलिखित के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है:

1. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 186 दिनांक 13 सितम्बर, 1993 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/68/93–बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितम्बर, 1993.
2. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 163 दिनांक 20 अक्तूबर, 1994 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/9/94–बीसीसी दिनांक 19 अक्तूबर, 1994.
3. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/7/95–बीसीसी दिनांक 24 मई, 1995.
4. 12011/96/94–बीसीसी दिनांक 9 मार्च, 1996.
5. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 210 दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/96–बीसीसी, दिनांक 6 दिसम्बर, 1996.
6. 12011/13/97–बीसीसी दिनांक 3 दिसम्बर, 1997.
7. 12011/99/94–बीसीसी दिनांक 11 दिसम्बर, 1997.
8. 12011/68/98–बीसीसी दिनांक 27 अक्तूबर, 1999.
9. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 270 दिनांक 6 दिसम्बर, 1999 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/88/99–बीसीसी, दिनांक 6 दिसम्बर, 1999.
10. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 71 दिनांक 4 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/36/99–बीसीसी, दिनांक 4 अप्रैल, 2000.
11. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 210 दिनांक 21 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/44/99–बीसीसी, दिनांक 21 सितम्बर, 2000.
12. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 246 दिनांक 6 सितम्बर, 2001 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/59/2000–बीसीसी दिनांक 6 सितम्बर, 2001.
13. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 151 दिनांक 20 जून, 2003 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/1/2001–बीसीसी दिनांक 19 जून, 2003.
14. भारत के असाधारण राजपत्र के भाग–1, खंड–1, सं 9 दिनांक 13 जनवरी, 2004 में प्रकाशित संकल्प सं. 12011/4/2002–बीसीसी दिनांक 13 जनवरी, 2004.

श्री/श्रीमती/कुमारी*..................................................................तथा/या उनका परिवार साधारणतया ..............................................प्रदेश के ................................ .......................................... जिला/संभाग* में रहते हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93–स्था0(एससीटी) जिसे कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 9.3.2004 तथा 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन सं. 36033/3/2004–स्था0(आरईएस) के तहत संशोधित किया गया है, की अनुसूची के कॉलम–3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमीलेयर) से संबंधित नहीं हैं।

**दिनांकः**
**मुहर :**

**हस्ताक्षर**
**जिलाधीश या**
**उपायुक्त आदि।**

*जो लागू न हों उसे काट दें।

**टिप्पणीः**

(क) : यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा–20 में है।
(ख) : जाति प्रमाणपत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:–

1. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपयुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडियरी मजिस्ट्रेट/सब–डिविजनल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (फर्स्ट क्लास स्टाईपेंडियरी मजिस्ट्रेट से नीचे की रैंक का न हो)
2. चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/एडिशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
3. राजस्वी अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**परिशिष्ट–V**

**आयु में छूट चाहने वाले विभागीय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र**
**(उस कार्यालयाध्यक्ष अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी सेवारत हैं)**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*........................................................ केन्द्र सरकार के/की कर्मचारी हैं और समूह ..................................................... के गैर तकनीकी पद पर ......................................... के रूप में ........... ............................................................. रूपए के वेतनमान में कार्य कर रहे/रही* हैं। उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर कार्य करते हुए दिनांक ..............को 3 वर्ष हो गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा निष्पादित कार्यों की प्रकृति विस्तार से संलग्न पत्र में विधिवत रूप से प्रमाणित कर दी गई है।

*जो लागू न हों उसे काट दें।

हस्ताक्षर :..........................................

स्थान :.......................................
दिनांकः.......................................

नामः ..................................................
कार्यालय की मुहरः..........................

परिशिष्ट-VI

**संस्थान / अस्पताल का नाम और पता**

प्रमाण पत्र सं. ........................................ तारीख ....................................................

## निःशक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी ........................................................ सुपुत्र / पत्नी / सुपुत्री ........ ................................ आयु ...................... लिंग ..................
................................ पहचान चिन्ह ........................................................ निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तत... ...रस्त हैं :—

| चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का फोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो |
|---|

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉलिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बाहें प्रभावित
 (क) दुर्बल पहुंच
 (ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बाहें (बी एल ए) – दोनों टांगे और दोनों बाहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
 (क) दुर्बल पहुंच
 (ख) कमजोर पकड़
 (ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
 (क) दुर्बल पहुंच
 (ख) कमजोर पकड़
 (ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांसपेशियां (एम डब्ल्यू) – मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी — (i) अंधता

(ii) पी बी — (ii) आंशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी — (i) बधिर

(ii) पी डी — (ii) आंशिक रूप से बधिर

**(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)**

2. यह स्थिति प्रगामी है / गैर प्रगामी है / इसमें सुधार होने की संभावना नहीं है / सुधार होने की संभावना नहीं है. इस मामले का पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती. .................. वर्षों ............................ महीनों ही अवधि के पश्चात पुनर्निधारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है.*

3. उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत ......................... है.

4. श्री / श्रीमती / कुमारी* ............................ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते / करती हैं :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) | एफ | – अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां / नहीं |
| (ii) | पी पी | – धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं | हां / नहीं |
| (iii) | एल | – उठाने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां / नहीं |
| (iv) | के सी | – घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते / सकती हैं | हां / नहीं |
| (v) | बी | – झुककर कार्य कर सकते / सकती हैं | हां / नहीं |
| (vi) | एस | – बैठकर कार्य कर सकते / सकती हैं | हां / नहीं |
| (vii) | एस टी | – खड़े होकर कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां / नहीं |
| (viii) | डब्ल्यू | – चलते हुए कार्य कर सकते / सकती हैं | हां / नहीं |
| (ix) | एस ई | – देखकर कार्य कर सकते / सकती हैं | हां / नहीं |
| (x) | एच | – सुनने / बोलने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं | हां / नहीं |
| (xi) | आर डब्ल्यू | – पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते / सकती हैं. | हां / नहीं |

| | | |
|---|---|---|
| (डा. ..........................................) | (डा. ..........................................) | (डा. ..........................................) |
| सदस्य, चिकित्सा बोर्ड | सदस्य, चिकित्सा बोर्ड | अध्यक्ष, चिकित्सा बोर्ड |

चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी /
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो उसे काट दें.

**टिप्पणी: शावि प्रमाण पत्र की महत्वपूर्ण आवश्यकता**

(i) निःशक्तता प्रमाण पत्र केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा. राज्य सरकार कम से कम 3 सदस्यों का एक चिकित्सा बोर्ड गठित कर सकती है, जिनमें से कम से कम एक सदस्य संबद्ध क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा.

(ii) जिनकी निःशक्तता अस्थायी है उनका प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा. जिनकी निःशक्तता स्थायी होगी, उनके प्रमाण पत्र में यह मान्यता 'स्थायी' दर्शाई जा सकती है.

(iii) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) की धारा 73 की उप–धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा 31.12.1996 को अधिसूचित निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार, निःशक्तता प्रमाण पत्र देने के लिए प्राधिकारियों का केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा विधिवत रूप से गठित किया गया एक चिकित्सा बोर्ड होगा. केन्द्र सरकार / राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों के एक चिकित्सा बोर्ड का गठन कर सकती है जिनमें से कम से कम एक सदस्य लोकोमोटर / अल्प दृष्टि सहित चाक्षुष श्रवण तथा वाक् निःशक्तता, मानसिक मंदता तथा कुष्ठ उपचार, जैसा भी [illegible] के निर्धारण के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होगा.

**परिशिष्ट– VII**

## आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

| शैक्षिक योग्यता | कोड |
|---|---|
| मैट्रीकुलेशन | 01 |
| इण्टरमीडिएट | 02 |
| प्रमाण पत्र | 03 |
| डिप्लोमा | 04 |
| बी ए | 05 |
| बी ए (ऑनर्स) | 06 |
| बी कॉम | 07 |
| बी कॉम (ऑनर्स) | 08 |
| बी एस सी | 09 |
| बी एस सी (ऑनर्स) | 10 |
| बी एड | 11 |
| एल एल बी | 12 |
| बी ई | 13 |
| बी टैक | 14 |
| ए एम आई ई (भाग क एवं भाग ख) | 15 |
| बी एस सी (इंजी) | 16 |
| बी सी ए | 17 |
| बी बी ए | 18 |
| रक्षा (भारतीय सेना, वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री | 19 |
| पुस्तकालय स्नातक | 20 |
| बी फार्मा | 21 |
| आई सी डब्ल्यू ए | 22 |
| सी ए | 23 |
| पी जी डिप्लोमा | 24 |
| एम ए | 25 |
| एम कॉम | 26 |
| एम एस सी | 27 |
| एम एड | 28 |
| एल एल एम | 29 |
| एम ई | 30 |
| एम टैक | 31 |
| एम एस सी (इंजी) | 32 |
| एम सी ए | 33 |
| एम बी ए | 34 |
| अन्य | 35 |

## शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

| शैक्षिक योग्यता | कोड |
|---|---|
| इतिहास | 01 |
| राजनीति विज्ञान | 02 |
| अर्थशास्त्र | 03 |
| अंग्रेजी साहित्य | 04 |
| हिन्दी साहित्य | 05 |
| भूगोल | 06 |
| वाणिज्य | 07 |
| विधि | 08 |
| भौतिक विज्ञान | 09 |
| रसायन विज्ञान | 10 |
| गणित | 11 |
| सांख्यिकी | 12 |
| वनस्पति शास्त्र | 13 |
| प्राणि विज्ञान | 14 |
| कृषि विज्ञान | 15 |
| सिविल अभियांत्रिकी | 16 |
| वैद्युत अभियांत्रिकी | 17 |
| यांत्रिक अभियांत्रिकी | 18 |
| इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी | 19 |
| इलेक्ट्रॉनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी | 20 |
| इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी | 21 |
| इलेक्ट्रॉनिकी एवं इंस्ट्रूमेंटेशन अभियांत्रिकी | 22 |
| कृषि अभियांत्रिकी | 23 |
| कम्प्यूटर विज्ञान | 24 |
| कम्प्यूटर अनुप्रयोग | 25 |
| सूचना प्रौद्योगिकी | 26 |
| पुस्तकालय विज्ञान | 27 |
| लेखाशास्त्र | 28 |
| वर्क एकाऊन्टेंसी | 29 |
| व्यापार प्रबंधंन | 30 |
| ज्नसंचार | 31 |
| पत्रकारिता | 32 |
| जनसंचार एवं पत्रकारिता | 33 |
| फार्मेसी | 34 |
| फोटोग्राफी | 35 |
| मुद्रण प्रौद्योगिकी | 36 |
| नर्सिंग | 37 |
| टसमी | 38 |
| बंगाली | 39 |
| मलयालम | 40 |
| त्लगू | 41 |
| कन्नड़ | 42 |
| तमिल | 43 |
| मराठी | 44 |
| गुजराती | 45 |

| | |
|---|---|
| उर्दू | 46 |
| संस्कृत | 47 |
| अन्य | 48 |
| वैमानिक इंजीनियरिंग | 49 |
| रसायनिक इंजीनियरिंग | 50 |
| सूक्ष्म जीव विज्ञान | 51 |
| न्यायिक विज्ञान | 52 |
| अन्तरिक्ष इंजीनियरिंग | 53 |
| रोकेटरी | 54 |
| दूरसंचार इंजीनियरिंग | 55 |
| सामाजिक कार्य | 56 |
| समाज विज्ञान | 57 |
| अपराध विज्ञान | 58 |
| जैव–भौतिकी | 59 |
| जैव–रसायन | 60 |
| जैव–प्रौद्योगिकी | 61 |
| स्ंचार | 62 |
| इलेक्ट्रॉनिक्स | 63 |
| रेडियो इंजीनियरिंग | 64 |
| रेडियो संचार | 65 |
| धातु विज्ञान | 66 |
| वस्त्र प्रौद्योगिकी | 67 |
| रबर प्रौद्योगिकी | 68 |
| प्लास्टिक इंजीनियरिंग | 69 |
| पॉलिमर एवं रबर प्रौद्योगिकी | 70 |
| शारीरिक शिक्षा | 71 |
| कृषि शास्त्र | 72 |
| पौधा संवर्धन | 73 |
| आनुवांशिकी | 74 |
| ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग | 75 |
| समुद्री इंजीनियरिंग | 76 |
| नौसेना वास्तुशिल्प | 77 |
| प्रचालन अनुसंधान | 78 |
| इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग | 79 |

**परिशिष्ट– VIII**

## निर्णायक तिथि को आयु में छूट के दावे के लिए श्रेणी कोड

| कोड संख्या | श्रेणी | ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य (अनुज्ञेय) छूट |
|---|---|---|
| **01** | अ जा/ अ ज जाति | 5 वर्ष |
| **02** | अ पि व | 3 वर्ष |
| **03** | शा वि | 10 वर्ष |
| **04** | शा वि + अ पि व | 13 वर्ष |
| **05** | शा वि + अ जा/अ ज जा | 15 वर्ष |
| **06** | **समूह ख पदों हेतुः** भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/सामान्य) | 5 वर्ष |
| **07** | भूतपूर्व सैनिक (अ पि व) | 8 वर्ष |
| **08** | भूतपूर्व सैनिक (अ जा/अ ज जा) | 10 वर्ष |
| **09** | **समूह ग पदों हेतुः** भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित/सामान्य) | अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 3 वर्ष। |
| **10** | भूतपूर्व सैनिक (अ पि व) | अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 6 वष (3 वर्ष +3 वर्ष)। |
| **11** | भूतपूर्व सैनिक (अ जा/अ ज जा) | अन्तिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 8 वर्ष (3 वर्ष +5 वर्ष)। |
| **12** | **समूह ख पदों हेतुः** केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अनारक्षित/सामान्य) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरन्तर सेवा की हो। | 35 वर्ष की आयु तक |
| **13** | केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अ पि व) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरन्तर सेवा की हो। | 38 वर्ष की आयु तक |
| **14** | केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अ जा/अ ज जा) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरन्तर सेवा की हो। | 40 वर्ष की आयु तक |
| **15** | **समूह ग पदों हेतुः** केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अनारक्षित/सामान्य) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरन्तर सेवा की हो। | 40 वर्ष की आयु तक |
| **17** | केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अ पि व) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरन्तर सेवा की हो। | 43 वर्ष की आयु तक |
| **19** | केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अ जा/अ ज जा) जिन्होंने अन्तिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरन्तर सेवा की हो। | 45 वर्ष की आयु तक |

| | | |
|---|---|---|
| **21** | अभ्यर्थी जो साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अनारक्षित/सामान्य)। | 5 वर्ष |
| **22** | अभ्यर्थी जा साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अ पि व)। | 8 वर्ष |
| **23** | अभ्यर्थी जा साधारणतया जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अ जा/ अ ज जा)। | 10 वर्ष |
| **24** | **केवल समूह ग पदों हेतुः** विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अनारक्षित/सामान्य) | 35 वर्ष की आयु तक |
| **25** | विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अ पि व) | 38 वर्ष की आयु तक |
| **26** | विधवाओं/तलाकशुदा महिलाओं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अ जा/अ ज जा) | 40 वर्ष की आयु तक |
| **27** | किसी दूसरे से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौज़ी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए अथवा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अनारक्षित/सामान्य)। | 3 वर्ष |
| **28** | किसी दूसरे से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौज़ी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए अथवा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अ पि व)। | 6 वर्ष (3 वर्ष +3 वर्ष) |
| **29** | किसी दूसरे से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौज़ी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए अथवा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अ जा/अ ज जा)। | 8 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष) |
| **33** | सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क (अनारक्षित/सामान्य)। | 45 वर्ष की आयु तक |
| **34** | सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क (अ पि व)। | 48 वर्ष की आयु तक |
| **35** | सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क (अ जा/अ ज जा)। | 50 वर्ष की आयु तक |